



2026:AHC:14378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 22132 /2025

जीतू

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: कौशलेंद्र, विमल कुमार कुशवाहा,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में अनुपूरक हलफनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

श्री मोहम्मद आदिल, विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से तथा राज्य की ओर से श्री रामेन्द्र पाल सिंह, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं वाद के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदक जीतू की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे वाद अपराध संख्या 142 सन् 2025, धारा 21/22 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से 538 ग्राम डाइजेपाम की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा अधिक है। आवेदक के विरुद्ध चार आपराधिक मामलों का विवरण अनुपूरक हलफनामे के पैरा 4 से 7 में समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वास्तविकता में ऐसी कोई बरामदगी आवेदक से नहीं हुई है। कथित बरामदगी स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है, जिससे आवेदक के विरुद्ध झूठे फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी प्रस्तुत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया कि अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न के उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 28.03.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है। यह भी आश्वासन दिया गया कि जमानत पर रिहा होने पर आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जबकि वह मादक पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

वाद के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक सिद्धांत, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, उससे संबंधित विशेष परिस्थितियाँ, विचारण के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की संभावना, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका, राज्य/समाज के व्यापक हित तथा अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक **जीतू** को उपर्युक्त वाद अपराध में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक जांच अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा गवाहों को किसी प्रकार से डराए-धमकाए या दबाव में नहीं लेगा।
2. आवेदक विचारण में ईमानदारी पूर्वक सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन, बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

दिनांक : 20 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)